


शैक्षिक समाचार
राजस्थान



शैक्षिक समाचार राजस्थान

शैक्षिक समाचार राजस्थान



स्कूल समय और कक्षावार कालाश विवरण

एक पारी विद्यालय (ग्रीष्मकाल)

समय – प्रातः 8-00 से 2-10 बजे
प्रार्थना व योगभ्यास
मध्यान्तर
प्रथम 6 कालांश
अन्तिम दो कालांश

दो पारी विद्यालय(ग्रीष्मकाल)

समय – प्रातः 7 से सायं 6 बजे
प्रार्थना व योगभ्यास
मध्यान्तर
प्रथम 6 कालांश
अन्तिम दो कालांश

घ्यातव्य – मध्यान्तर 25 मिनट करने से दोनों पारी के मध्य 10 मिनट का अन्तराल मिल सकेगा।

राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के आदेश 15-03-2016 के अनुसार

कक्षा 1 से 8 के लिये विषयवार साप्ताहिक कालांश व्यवस्था

क्र.सं.	विषय	कक्षा	
		1 व 2	3 से 5
1.	हिन्दी	12	12
2.	अंग्रेजी	6	6
3.	गणित	12	9
4.	पर्यावरण अध्ययन	6	9
5.	कार्यानुभव	3	4
6.	कला शिक्षा	3	4
7.	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	6	4
	योग	48	48

नोट – कक्षा 6 से 8 में निदानात्मक शिक्षण के 5 कालांश में इन सीईआरटी कोर्स और कक्षा त्वार प्राप्त करने की अठिनाईदो ला. निवारण। हमारा राजस्थान का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के साथ में कराना है। कला शिक्षा, कार्यानुभव, रवास्थ्य एवं शा.शि. कालांश में खेल, स्वास्थ्य, व्यायाम, गाइड, स्काकट, कला कार्य की जानकारी भेजतानी है।

क्र.सं.	विषय	कक्षा	
		6-7	8
1.	हिन्दी	6	6
2.	अंग्रेजी	6	6
3.	गणित	6	6
4.	सामाजिक विज्ञान	6	—
5.	विज्ञान	6	6
6.	तृतीय भाषा	6	6
7.	हमारा राजस्थान	—	6
8.	कार्यानुभव	2	2
9.	कला शिक्षा	2	2
10.	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	2	2
11.	पुस्तकालय	1	1
	निदानात्मक शिक्षण	5	5
	योग	48	48

कक्षा 9 से 12 के लिये विषयवार साप्ताहिक कालांश व्यवस्था बोर्ड अनुसार

क्र.सं.	विषय	कक्षा	
		9	10
1	भाषाएँ		कालांश
(1)	हिन्दी	6	6
(2)	अंग्रेजी	6	6
(3)	तृतीय भाषा	5	5
2.	विज्ञान	8	8
3.	सामाजिक विज्ञान	8	8
4.	गणित	8	8
5.	व्यावसायिक शिक्षा (अतिरिक्त पैकल्पिक विषय)		
	कोई एक 1. सौन्दर्य एवं रवास्थ्य।		
	2. स्वास्थ्य देखभाल। 3 सूचना प्रौद्योगिकी।		
	4. ऑटोमांबाईल। 5. निजि सुख्ख। 6. रिटेल।		
	7. ट्रेवल एवं टूरिज्म (इस विषय शिक्षण के लिये स्कूल में अतिरिक्त समय की व्यवस्था की जाएगी)		
6	राज. अध्ययन एवं समाजोपयोगी योजनाएँ	2	2
7.	स्वा. एवं शा.शिक्षा	2	2
8.	फाउण्डेशन ऑफ IT	2	2
9.	1 SUPW&CS 2 कला शिक्षा }	1	1
10.	नैतिक शिक्षा – प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित।		
11.	पस्तक आदान प्रदान 0 कालांश /मध्य अन्तराल में।		

क्र.सं.	विषय	कक्षा	
		11	12
1.	हिन्दी	6	6
2.	अंग्रेजी	6	6
3.	समाजोपयोगी योजनाएँ	3	3
4.	जीवन कौशल शिक्षा	3	—
5.	ऐच्छिक विषय तीन	30	33
	(प्रायोगिक विषयों में कक्षा 11 में 6 सैद्धान्तिक व 4 प्रायोगिक और कक्षा 12 में 7 सैद्धान्तिक व 4 प्रायोगिक कालांश)		
6.	नैतिक शिक्षा –प्रार्थना समा, उत्सव आयोजनों एवं सभी सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।		
7.	पुस्तकालय संबंधी कार्य 0 कालांश / मध्य अन्तराल में।		
8.	शारीरिक शिक्षा–शाशि एवं गतिविधियां विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात।		

नोट- कक्षा 11 / उपाध्याय उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाज सेवा शिविर में भाग लेना अनिवार्य होगा। शिविर की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा 12 की अंकतालिका / प्रमाण पत्र में किया जाएगा। ग्रेडिंग में भाग लेने वाले विद्यार्थी उन्न

स्कूल समय और कक्षावार कालाश विवरण

एक पारी विद्यालय (ग्रीष्मकाल)

समय – प्रातः 8–00 से 2–10 बजे	
प्रार्थना व योगाभ्यास	30 मिनट
मध्यान्तर	25 मिनट
प्रथम 6 कालांश	40 मिनट
अन्तिम दो कालांश	35 मिनट

घ्यातव्य – मध्यान्तर 25 मिनट करने से दोनों पारी के मध्य 10 मिनट का अन्तराल मिल सकेगा।

राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के आदेश 15–03–2016 के अनुसार

कक्षा 1 से 8 के लिये विषयवार साप्ताहिक कालांश व्यवस्था

दो पारी विद्यालय(ग्रीष्मकाल)

समय – प्रातः 7 से सायं 6 बजे	
प्रार्थना व योगाभ्यास	30 मिनट
मध्यान्तर	25 मिनट
प्रथम 6 कालांश	35 मिनट
अन्तिम दो कालांश	30 मिनट

क्र.सं.	विषय	कक्षा 1 व 2	कक्षा 3 से 5
1.	हिन्दी	12	12
2.	अंग्रेजी	6	6
3.	गणित	12	9
4.	पर्यावरण अध्ययन	6	9
5.	कार्यानुभव	3	4
6.	कला शिक्षा	3	4
7.	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	6	4
	योग	48	48

नोट – कक्षा 6 से 8 में निदानात्मक शिक्षण के 5 कालांश में इन सीईआरटी कोर्स और कक्षा त्वार प्राप्त करने की अठिनाईदो ला. निवारण। हमारा राजस्थान का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के साथ में कराना है। कला शिक्षा, कार्यानुभव, रवास्थ्य एवं शा.शि. कालांश में खेल, स्वास्थ्य, व्यायाम, गाइड, स्काकट, कला कार्य की जानकारी भेलप्रधानी है।

क्र.सं.	विषय	कक्षा 6–7	कक्षा 8
1.	हिन्दी	6	6
2.	अंग्रेजी	6	6
3.	गणित	6	6
4.	सामाजिक विज्ञान	6	—
5.	विज्ञान	6	6
6.	तृतीय भाषा	6	6
7.	हमारा राजस्थान	—	6
8.	कार्यानुभव	2	2
9.	कला शिक्षा	2	2
10.	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	2	2
11.	पुस्तकालय	1	1
12.	निदानात्मक शिक्षण	5	5
	योग	48	48

कक्षा 9 से 12 के लिये विषयवार साप्ताहिक कालांश व्यवस्था बोर्ड अनुसार

क्र.सं.	विषय	कक्षा 9	10
1	भाषाएँ	कालांश	
(1)	हिन्दी	6	6
(2)	अंग्रेजी	6	6
(3)	तृतीय भाषा	5	5
2.	विज्ञान	8	8
3.	सामाजिक विज्ञान	8	8
4.	गणित	8	8
5.	व्यावसायिक शिक्षा (अतिरिक्त पैकल्पिक विषय)		
	कोई एक 1. सोन्दर्य एवं रवास्थ्य।		
	2. स्वास्थ्य देखभाल। 3 सूचना प्रौद्योगिकी।		
	4. ऑटोमांबाईल। 5. निजि सुख्खा। 6. रिटेल।		
	7. ट्रेवल एवं ट्रूरिज (इस विषय शिक्षण के लिये स्कूल में अतिरिक्त समय की व्यवस्था की जाएगी)		
6.	राज. अध्ययन एवं समाजोपयोगी योजनाएँ	2	2
7.	स्वा. एवं शा.शिक्षा	2	2
8.	फाउण्डेशन ऑफ IT	2	2
9.	1 SUPW&CS { 2 कला शिक्षा }	1	1
10.	नेतिक शिक्षा – प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित।		
11.	पस्तक आदान प्रदान 0 कालांश /मध्य अन्तराल में।		

क्र.सं.	विषय	कक्षा 11	12
1.	हिन्दी	6	6
2.	अंग्रेजी	6	6
3.	समाजोपयोगी योजनाएँ	3	3
4.	जीवन कौशल शिक्षा	3	—
5.	ऐच्छिक विषय तीन	30	33
	(प्रायोगिक विषयों में कक्षा 11 में 6 सैद्धान्तिक व 4 प्रायोगिक और कक्षा 12 में 7 सैद्धान्तिक व 4 प्रायोगिक कालांश)		
6.	नैतिक शिक्षा –प्रार्थना समा, उत्सव आयोजनों एवं सभी सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।		
7.	पुस्तकालय संबंधी कार्य 0 कालांश / मध्य अन्तराल में।		
8.	शारीरिक शिक्षा—शाशि एवं गतिविधियां विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात।		

नोट— कक्षा 11 / उपाध्याय उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाज सेवा शिविर में भाग लेना अनिवार्य होगा। शिविर की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा 12 की अंकतालिका / प्रमाण पत्र में किया जाएगा। उत्तीर्ण में भाग लेने वाले विद्यार्थी उन्न

कालांश समीक्षा

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बोर्ड द्वारा निर्धारित शिक्षण कालांश

माध्यमिक कक्षाएं

क्र. सं.	विषय	कुल सामाजिक कालांश : 48	
		कक्षा-IX हेतु निर्धारित कालांश	कक्षा-X हेतु निर्धारित कालांश
1.	भाषाएं हिन्दी अंग्रेजी तृतीय भाषा	17 06 06 05	17 06 06 05
2.	विज्ञान	08	08
3.	सामाजिक विज्ञान	08	08
4.	गणित	08	08
5.	राजस्थान अध्ययन	02	02
6.	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	02	02
7.	फाउंडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	02	02
8.	1. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा 2. कला शिक्षा	01 -	01 -
	योग	48	48

नोट:-

- ऐसे विद्यालय, जहां कम्प्यूटर लैब की सुविधा नहीं है, वहां के संस्था प्रधान पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 'फाउंडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी' के लिए निर्धारित कालांशों का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते हैं।
- खेल प्रवृत्तियां शून्य कालांश में संचालित की जा सकती हैं।
- मैतिक शिक्षा प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।
- पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान शून्य कालांश /मध्य अंतराल में किया जा सकता है।

उच्च माध्यमिक कक्षाएं

क्र. सं.	विषय	कुल सामाजिक कालांश: 48	
		कक्षा-IX हेतु निर्धारित कालांश	कक्षा-X हेतु निर्धारित कालांश
1.	हिन्दी	06	06
2.	अंग्रेजी	06	06
3.	राजस्थान अध्ययन	03	03
4.	जीवन कौशल	03	-

5.	ऐच्छिक विषय	10	11
1.	प्रथम	10	11
2.	द्वितीय	10	11
3.	तृतीय	10	11

विशेष :

प्रयोगात्मक कार्य वाले विषयों में 06 कालांश सेद्वांतिक एवं 04 कालांश प्रायोगिक कार्य हेतु निर्धारित है।

प्रयोगात्मक कार्यवाले विषयों में 07 कालांश सेद्वांतिक एवं 04 कालांश प्रायोगिक कार्य हेतु निर्धारित है।


नोट:-

- मैतिक शिक्षा प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।
- पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान शून्य कालांश /मध्य अंतराल में किया जा सकता है।
- शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियां विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित है।
- कक्षा-XI उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यालय में आयोज्य समाज सेवा योजना शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। शिविर की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा-XII की अंकतालिका /प्रमाण पत्र में किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस शिविर से मुक्त रहेंगे, किन्तु इन विद्यार्थियों की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में भाग लेने का अंकन किया जाएगा।

संकलन :

राणूसिंह, चरिष लिपिक
माध्यमिक अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर


- यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है तो तुम्हारा आचरण भी सुंदर होगा, यदि आचरण सुंदर है तो तुम्हारे घर में शांति रहेगी, यदि घर में शांति है तो राष्ट्र में सुव्यवस्था रहेगी और यदि राष्ट्र में सुव्यवस्था है तो समस्त विश्व में शांति और सुख रहेगा।
- जो अपनी गलती को खुद देखकर सुधार लेता है और उसका प्रायरिचत कर लेता है, वह साधु है। जो गलती बताने पर मान लेता और खेद प्रकट करता है, वह सज्जन है। जो गलती मालूम होने पर भी हठ करता है, वह नर पशु है। जो सही और गलत की तमीज ही नहीं कर पाता या जो गलत को सही और सही को गलत मानता है, वह पशु है।



कक्षा 1 से 12 ऐच्छिक जीव, रसायन, भौतिक, गणित – मॉडल टाईम टेबल

प्रधानाचार्य-1 व्याख्याता- 5 वरिष्ठ अध्यापक- 3 (1- गणित, 1- सामाजिक, 1-संस्कृत)
अध्यापक लेवल II-3(1-विज्ञान/गणित, 1-हिन्दी, 1-अंग्रेजी) अध्यापक लेवल I-2 शारीरिक शिक्षक-1
– पदस्थापित शैक्षिक स्टॉफ के विषय एवं साप्ताहिक कालांश भार निम्नानुसार रहेगा –

क्रसं	पद	विषय	निर्धारित कक्षा कालांश	शिक्षण शिक्षण	शिक्षण विषय	शिक्षण कालांश	कुल कालांश	शेष
1.	व्याख्याता	अंग्रेजी	36	11, 12 9, 10 11	अंग्रेजी अनिवार्य अंग्रेजी जीवन कौशल	12 12 3	27	9
2.	व्याख्याता	हिन्दी	36	11, 12 9, 10 9, 10	हिन्दी अनिवार्य हिन्दी राजस्थान अध्ययन	12 12 4	28	8
3.	व्याख्याता	जीव विज्ञान	36	11, 12 11, 12	जीवविज्ञान सैद्धान्तिक जीवविज्ञान प्रायोगिक	6+7=13 8+8=16	29	7
4.	व्याख्याता	रसायन	36	11, 12 11, 12	रसायन सैद्धान्तिक रसायन प्रायोगिक	6+7=13 8+8=16	29	7
5.	व्याख्याता	भौतिक	36	11, 12 11, 12	भौतिक सैद्धान्तिक भौतिक प्रायोगिक	6+7=13 8+8=16	29	7
6.	व030	गणित	36	11, 12 9, 10 6, 7, 8	गणित आई.टी गणित	21 4 16	25	8
7.	व030	सामाजिक	36	9, 10 6, 7, 8	सामाजिक सामाजिक	16 18	34	2
8.	व030	संस्कृत	36	9, 10 6, 7, 8	संस्कृत संस्कृत	10 18	34	2
9.	अ0लेवल II	विज्ञान/ गणित	42	9, 10 6, 7, 8	विज्ञान विज्ञान	16 18	34	8
10.	अ0लेवल II	हिन्दी	42	6, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8	हिन्दी निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला पुस्तकालय	18 10 8 2	38	4
11.	अ0लेवल II	अंग्रेजी	42	6, 7, 8 6 6 6 9, 10	अंग्रेजी निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला पुस्तकालय SUPW & कला	18 5 4 1 2	30	12
12.	शा.शि.	1 या II ग्रेड	42	9, 10 6, 7, 8	स्वा एवं शाशि स्वा एवं शाशि	4 6	10	32
13.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	RTE के तहत कक्षा 1 से 5			
14.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	RTE के तहत कक्षा 1 से 5			




कक्षा 1 से 12 ऐच्छिक भूगोल, इतिहास व नागरिक शास्त्र – मॉडल टार्फ़ टेबल

प्रधानाचार्य–1 व्याख्याता–5 वरिष्ठ अध्यापक 3 (1– गणित, 1– विज्ञान, 1–संस्कृत)

अध्यापक लेवल II–3 (1–सामाजिक, 1–हिन्दी, 1–अंग्रेजी) अध्यापक लेवल I–2 शारीरिक शिक्षक–1

— पदस्थापित शैक्षिक स्टॉफ के विषय एवं साप्ताहिक कालांश भार निम्नानुसार रहेगा —

क्रम	पद	विषय	निर्धारित कालांश	कक्षा शिक्षण	शिक्षण विषय	शिक्षण कालांश	कुल कालांश	शेष
1.	व्याख्याता	अंग्रेजी	36	11, 12 9, 10 11	अंग्रेजी अनिवार्य अंग्रेजी जीवन कौशल	12 12 3	27	9
2.	व्याख्याता	हिन्दी	36	11, 12 9, 10	हिन्दी अनिवार्य हिन्दी	12 12	24	12
3.	व्याख्याता	भूगोल	36	11, 12 11, 12	भूगोल सेवानिक भूगोल प्रायोगिक	6+7=13 8+8=16		
4.	व्याख्याता	इतिहास	36	11, 12 11 10	राजस्थान अध्ययन इतिहास राजस्थान अध्ययन	3 21 3	31	6
5.	व्याख्याता	राज. विज्ञान	36	11, 12 12 9	राज. विज्ञान राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान	21 3 8	32	4
6.	व030	गणित	36	9, 10 10 6, 7, 8	गणित आई.टी	16 2 18	36	0
7.	व030	विज्ञान	36	9, 10 10 6, 7, 8	विज्ञान आई.टी	16 2 18	36	0
8.	व030	संस्कृत	36	9, 10 6, 7, 8 6, 7, 8	संस्कृत संस्कृत कार्यानुभव	10 18 6	36	0
9.	अ0लेवल II	सामाजिक	42	6, 7, 8 9, 10 9, 10 8 8 8	सामाजिक राजस्थान अध्ययन SUPW & कला निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला पुस्तकालय	18 4 2 5 4 1	34	8
10.	अ0लेवल II	हिन्दी	42	6, 7, 8 7 7 7	हिन्दी निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला पुस्तकालय	18 5 4 1	28	14
11.	अ0लेवल II	अंग्रेजी	42	6, 7, 8 6 6 6	अंग्रेजी निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला पुस्तकालय	18 5 4 1	28	14
12.	शा.शि.	ता या II ग्रेड	42	9, 10 6, 7, 8	स्वा एवं शाशि स्वा एवं शाशि	4 6	10	32
13.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	RTE के तहत कक्षा 1 से 5			
14.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	RTE के तहत कक्षा 1 से 5			



एक पारी व दो पारी स्कूल समय

एक पारी विद्यालय (ग्रीष्मकाल)
शिक्षकों के लिये 7.15 से 01.45
विद्यार्थियों के लिये 7.30 से 01.45

प्रार्थना व योगाभ्यास	30 मिनट
लघु विश्राम	10 मिनट
मध्यान्तर	25 मिनट
प्रथम 6 कालाश	40 मिनट
अन्तिम दो कालाश	35 मिनट

7-30 से 8-00 प्रार्थना योगाभ्यास, प्रथम कालाश 8-00 से 8-40, हितीय कालाश 8-40 से 9-20, लघु विश्राम 9-20 से 9-30, तृतीय कालाश 9-30 से 10-10, चतुर्थ कालाश 10-10 से 10-50, मध्यान्तर 10-50 से 11-15, पचम कालाश 11-15 से 11-55, पाष्ठम कालाश 11-55 से 12-35, सप्तम कालाश 12-35 से 1-10, अष्टम कालाश 1-10 से 1-45

एक पारी विद्यालय (शीतकाल)
शिक्षकों के लिये 8.15 से 02.45
विद्यार्थियों के लिये 8.30 से 02.45

प्रार्थना व योगाभ्यास	30 मिनट
लघु विश्राम	10 मिनट
मध्यान्तर	25 मिनट
प्रथम 6 कालाश	40 मिनट
अन्तिम दो कालाश	35 मिनट

दो पारी विद्यालय (ग्रीष्मकाल) प्रातः 7 से सायं 6 बजे (प्रत्येक पारी 5.30 घण्टे) उपस्थिति व प्रार्थना-30 मिनट, मध्यान्तर 30 मिनट, प्रथम 6 कालाश 35 मिनट, अन्तिम दो कालाश 30 मिनट
दो पारी विद्यालय (शीतकाल) प्रातः - 7.30 से सायं 5.30 (प्रत्येक पारी 5.00 घण्टे) प्रार्थना 30 मि. मध्यान्तर 30 मि. प्रत्येक कालाश 30 मिनट

कक्षा एवं विषयवार साप्ताहिक कालाश व्यवस्था

क्र.सं.	विषय	कक्षा		कक्षा
		1 व 2	3 से 5	
1	हिन्दी	12	12	
2	अंग्रेजी	6	6	
3	गणित	12	9	
4	पर्यावरण अध्ययन	6	9	
5	कार्यान्वय	3	4	
6	कला शिक्षा	3	4	
7	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	6	4	
	योग	48	48	

नोट - निदानात्मक शिक्षण के 5 कालाश में एन सी ई आर टी कोर्स और कक्षा स्तर प्राप्त करने की अनिमाइयों का निवारण। हमारा राजस्थान का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के साथ। कला शिक्षा, कार्यान्वय, स्वास्थ्य एवं शा.शि. कालाश में खेल, स्वास्थ्य, व्यायाम, गार्डन, स्कॉलट, कला कार्य की जानकारी करवानी है।

क्र.सं.	विषय	कक्षा	
		6-7	8
1	हिन्दी	6	6
2	अंग्रेजी	6	6
3	तृतीय भाषा	6	6
4	विज्ञान	6	6
5	गणित	6	6
6	सामाजिक विज्ञान	6	-
7	हमारा राजस्थान	-	6
8	कार्यान्वय	2	2
9	कला शिक्षा	2	2
10	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	2	2
11	पुस्तकालय	1	1
12	निदानात्मक शिक्षण	5	5
	योग	48	48

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. अजमेर की पाठ योजना अनुसार

क्र.सं.	विषय	कक्षा	9	10
1	भाषाएं	कालाश		
(1)	हिन्दी	6	6	
(2)	अंग्रेजी	6	6	
(3)	तृतीय भाषा	5	5	
2	विज्ञान	8	8	
3	सामाजिक विज्ञान	8	8	
4	गणित	8	8	
5	राजस्थान अध्ययन	2	2	
6	स्वा. एवं शा. शिक्षा	2	2	
7	फाउण्डेशन ऑफ IT	2	2	
8.	1 SUPW&CS	2	2	
	2 कला शिक्षा } 1	1	1	
9	नेतृत्व शिक्षा -प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित।			
10	पुस्तकालय से पुस्तक आदान प्रदान 0 कालाश / मध्य अन्तराल में।			

क्र.सं.	विषय	कक्षा	11	12
1.	हिन्दी	6	6	
2.	अंग्रेजी	6	6	
3.	राजस्थान अध्ययन	3	3	
4.	जीवन कौशल शिक्षा	3	-	
5.	ऐचिक विषय तीन	30	33	

(प्रायोगिक विषयों ने कक्षा 11 में 6 सेमेस्टरिक व 4 प्रायोगिक और कक्षा 12 में 7 सेमेस्टरिक व 4 प्रायोगिक कालाश)
6 नेतृत्व शिक्षा -प्रार्थना के साथ एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित। 7.शा.शि. एवं पुस्तकालय संबन्धी कार्य 0 कालाश अथवा मध्य अन्तराल, विद्यालय समय के पश्चात अपेक्षित। नोट - कक्षा 11 / उपाध्याय उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अकाली भाषा अवधारणा सेवा शिविर में भाग लेना अनिवार्य होगा। शिविर की योड़ग का अकन्त्र कक्षा 12 की अकलानिका / प्रमाण पत्र में किया जायेगा। एनएसएस में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस शिविर से नुकस रहेंगे। इनकी कक्षा 12 की अंक तालिका में एनएसएस में भाग लिया अकन्त्र होगा।



माननीय शिक्षा मन्त्री
राजस्थान सरकार
जयपुर।

(18)

विषय : कक्षा १ से ८ में विषयवार कालांश पुर्ण विभाजन बाबत।

सन्दर्भ : SIQE मूल्यांकन योजना निर्माण के लिये समय उपलब्ध करवाना।

महोदय जी,

स्विनिय निवेदन है कि राज्य में कक्षा १ से ५ के लिये SIQE (State Initiative for Quality Education) परियोजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत CCP (Child Centered Pedagogy) बाल केन्द्रित शिक्षण विद्या और CCE (Continuous and Comprehensive Evaluation) रालत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति से शिक्षण, मूल्यांकन हो रहा है।

राज्य की रक्की में कक्षा १ से ५, कक्षा ६ से ८, कक्षा ९ से १२ को ५ घण्टे ५ मिनट पढ़ाया जा रहा है।

CCP और CCE अनुसार कक्षा में शिक्षण व मूल्यांकन के बाद योजना निर्माण के लिये को समय भागिए। अध्यापक टेक्निकल प्रथम को प्रयोग करने की ओर आयोजित है। इन्हें योजना निर्माण के लिये समय नहीं निलंबित किया जाना चाहिए।

कक्षा १ से ५ को ६ कालांश और कक्षा ६ से ८ को ७ कालांश दीजाना पड़ाने का प्रावधान किया जाना सभीधीन होगा। ऐसे कालांश में व्यापक CCP और CCE कक्षा से शिक्षण व मूल्यांकन के बाद योजना निर्माण कर सकेंगे।

राजस्थान प्राथमिक एवं मध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा ६ वं ७ कालांश का टाईम टेक्निकल निर्मानानुसार प्रस्तावित है।

क्र.सं.विषय	कक्षा १-२	कक्षा १-२	कक्षा ३ से ५	कक्षा ३ से ५
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
१. हिन्दी	१२	६	१२	६
२. अंग्रेजी	६	६	६	९
३. गणित	१२	५	९	६
४. पर्यावरण	६	६	६	६
५. कार्यानुभव	३	३	४	३
६. कला शिक्षा	३	३	४	३
७. स्वाएव शास्त्रि.	६	३	४	३
योग (कक्षा शिक्षण)	४८	३६	४८	३६

नोट- कक्षा ६ से ८ को कार्यानुभव और कला शिक्षा एक साथ पढ़ाया जा सकता है। चाल्प की सब रक्की में जायु के अनुच्छेद की कक्षा में प्रवेश के बालक नहीं हैं। बालक ठीने पर उन्हें ८ वं कालांश में पढ़ाया जा सकता है। नियानालनक कालांश को अलग से आवश्यकता नहीं है।

क्र.सं.विषय	कक्षा ६ से ८	कक्षा ६ से ८
	वर्तमान	प्रस्तावित
१. हिन्दी	६	६
२. अंग्रेजी	६	६
३. त्रितीय भाषा	६	६
४. विज्ञान	६	६
५. गणित	६	६
६. सामाजिक ज्ञान	६	६
७. कार्यानुभव कला	२	३
८. कला शिक्षा	२	-
९. स्वाएव शास्त्रि.	२	२
१०. पुस्तकालय	१	१
११. नियानालनक शिक्षण	५	-
योग (कक्षा शिक्षण)	४८	४२

शिक्षण का अधिकार की धारा १९ वं २५ की अनुसूची में कक्षा १ से ५ के लिये वर्ष में २०० घण्टे रक्की लगायी है। इन्हें कुल ८०० घण्टे शिक्षण करवाना है। इस गणना ($800/200 = 4$ घण्टे) से कक्षा १ से ५ को प्रतिशिर्ष ४ घण्टे शिक्षण करवाना है। इसी अनुसूची में कक्षा ६ से ८ को लिये वर्ष में २२० दिन रक्की लगायी है। इन्हें १००० घण्टे शिक्षण करवाना है। इस गणना ($1000/220 = 4$ घण्टे ३० मिनट) से कक्षा ६ से ८ को प्रतिशिर्ष ४ घण्टे ३० मिनट शिक्षण करवाना है। रक्की में प्रथम ६ कालांश ४० मिनट और सातवां आठवां कालांश ३५ मिनट की है। $40 \times 6 = 240$ मिनट = ४ घण्टे कक्षा १ से ५ को लिये रोजाना ८ कालांश और कक्षा ६ से ८ को लिये रोजाना ७ कालांश के अनुसार विषयवार साप्ताहिक कालांशों का विभाजन होना चाहिए।

संगठन का आग्रह है कि एस.आई.ई.आरटी उदयपुर से कवालार कालांश का पुर्ण निर्धारण करवाने के निर्देश दिये जायें।

मंत्री महोदय ने कहा कि नोई ऑफिस भावक टाईम ब्राने की विकायत लेकर साधर। नहीं आया। संगठन द्वारा नया टाईम टेक्निकल एस.आई.ई.आरटी के अनुकूल होने की जात करने पर इसके गुण ट्रॉप का आकलन करवाने पर

भवनिष्ठ
महोदय (घण्टे)
महामन्त्री

प्रान्तीय कालांश - ४४/ए पाण्डे कालोनी, चौराजीगांव, बीकानेर ३३४००१ मोबाइल - ९८२८३७०३२७



कक्षा 1 से 12 वाणिज्य संकाय – मॉडल टाईम टेबल

प्रधानाचार्य-1 व्याख्याता-5 वरिष्ठ अध्यापक-4 (1- सामाजिक, 1- गणित, 1- विज्ञान, 1-संस्कृत)
 अध्यापक लेवल II-2 (1-हिन्दी, 1-अंग्रेजी) अध्यापक लेवल I -2 शारीरिक शिक्षक-1
 – पदस्थापित शैक्षिक स्टॉफ के विषय एवं साप्ताहिक कालांश भार निम्नानुसार रहेगा –

क्रसं	पद	विषय	निर्धारित कालांश	कक्षा	शिक्षण विषय	शिक्षण विषय	शिक्षण कालांश	कुल शेष कालांश
1.	व्याख्याता	अंग्रेजी	36	11, 12 9, 10 11	अंग्रेजी अनिवार्य अंग्रेजी जीवन कौशल	अंग्रेजी अनिवार्य हिन्दी अनिवार्य	12 12 3	27 9
2.	व्याख्याता	हिन्दी	36	11, 12 9, 10 11, 12	हिन्दी	हिन्दी अनिवार्य	12	24 12
3.	व्याख्याता	वाणिज्य	36	11, 12 11, 12	वाणिज्य	राजस्थान अध्ययन	21 6	27 9
4.	व्याख्याता	वाणिज्य	36	11, 12	वाणिज्य		21	
5.	व्याख्याता	वाणिज्य	36	11, 12 9, 10	वाणिज्य	राजस्थान अध्ययन	21 4	
6.	व030	सामाजिक	36	9, 10 6, 7, 8	सामाजिक	सामाजिक	16 18	34 2
7.	व030	गणित	36	9, 10 10 6, 7, 8	गणित	आई.टी	16 2 18	36 0
8.	व030	विज्ञान	36	9, 10 10 6, 7, 8	विज्ञान	आई.टी	16 2 18	36 0
9.	व030	संस्कृत	36	9, 10 6, 7, 8 6, 7, 8	संस्कृत	कार्यानुभव	10 6 18	36 0
10.	अ0लेवल II	हिन्दी	42	6, 7, 8 7, 8 7 8 8	हिन्दी	निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला	18 10 4 1 4	34 2
11.	अ0लेवल II	अंग्रेजी	42	6, 7, 8 6 6 9, 10 6	अंग्रेजी	पुस्तकालय कार्यानुभव + कला	18 5 4 2 1	38 4
12.	शा.शि.	T या II ग्रेड	42	9, 10 6, 7, 8 1 से 5	स्वा एवं शाशि	RTE के तहत कक्षा 1 से 5	4 6 1	30 12
13.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	स्वा एवं शाशि	RTE के तहत कक्षा 1 से 5	6 10	32
14.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	RTE के तहत कक्षा 1 से 5			



अध्यापकवार कालांश भार

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. प्राधानाचार्य / प्रधानाध्यापक | — सप्ताह में 12 कालांश |
| 2. प्राध्यापक | — सप्ताह में 33 कालांश |
| 3. वरिष्ठ अध्यापक | — सप्ताह में 36 कालांश |
| 4. अध्यापक (लेवल 1 व लेवल 2) | — सप्ताह में 42 कालांश |



कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा / मा / निप्र / डी-१ / १०४ / ॥ / नवाचार / 2016-17/१३, दिनांक: २००८.१६

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,

माध्यमिक शिक्षा (प्रथम / द्वितीय)

विषय :- विद्यालय के समय विभाग चक्र के निर्माण में समुचित कलाश भार निर्धारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु शासन का आदेश क्रमांक: प.22(6) शिक्षा-१/2002, जयपुर, दिनांक: 30.04.15

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु शासन के सन्दर्भित आदेशों में बिन्दु संख्या : ०३ (मानदण्ड निर्धारण के अन्य प्रावधान) में प्रदत्त निर्देशों को सहज सन्दर्भ हेतु निम्नानुसार उद्धत (quote) किया जा रहा है:-

1. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
2. विषय व्याख्याता द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः विषय व्याख्याता द्वारा कक्षा 11 एवं 12 के शैक्षणिक कार्य के सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 9 एवं 10 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
3. वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 36 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 9 से 10 के कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 6, 7 एवं 8 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
4. अध्यापक लेवल-२ द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः अध्यापक लेवल-२ द्वारा कक्षा 6-८ का शिक्षण कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष रहने पर कक्षा 1-५ को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल-२ द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
5. अध्यापक लेवल-१ द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कक्षा 1 से 5 को कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
6. उपर्युक्तानुसार मुख्य शैक्षिक विषय कलांशों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप से आवश्यकतानुसार आवंटित किये जायेंगे।

विद्यालय परिवीक्षण के दौरान विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान के तथ्य रेखांकित हुए हैं। उक्त क्रम में फील्ड में विद्यालयों की निर्बाध शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन के उपर्युक्त सन्दर्भित निर्देशों की अक्षरशः पालना क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों की पालना एवं क्रियान्वयि सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाइ जानी सुनिश्चित करें।

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।

कक्षा 1 से 12 ऐच्छिक जीव, रसायन व भौतिक शास्त्र – मॉडल टाईम टेबल
प्रधानाचार्य–1 व्याख्याता–5 वरिष्ठ अध्यापक 3 (1- गणित, 1- सामाजिक, 1-संस्कृत)
अध्यापक लेवल II–3 (1-विज्ञान/गणित, 1-हिन्दी, 1-अंग्रेजी) अध्यापक लेवल I–2 शारीरिक शिक्षक–1
– पदस्थापित शैक्षिक स्टॉफ के विषय एवं साप्ताहिक कालांश भार निम्नानुसार रहेगा –

क्रम	पद	विषय	निर्धारित कालांश	कक्षा	शिक्षण विषय	शिक्षण कालांश	कुल कालांश	शेष
1.	व्याख्याता	अंग्रेजी	36	11, 12 9, 10 11	अंग्रेजी अनिवार्य अंग्रेजी जीवन कौशल	12 12 3	27	9
2.	व्याख्याता	हिन्दी	36	11, 12 9, 10 9, 10	हिन्दी अनिवार्य हिन्दी	12 12	24	
3.	व्याख्याता	जीव विज्ञान	36	11, 12	जीवविज्ञान सैद्धान्तिक	6+7=13	28	8
4.	व्याख्याता	रसायन	36	11, 12	रसायन सैद्धान्तिक	6+7=13	29	7
5.	व्याख्याता	भौतिक	36	11, 12	भौतिक सैद्धान्तिक	6+7=13	29	7
6.	ब0आ०	गणित	36	9, 10 10 6, 7, 8	गणित आई.टी गणित	16 2 18	36	0
7.	ब0आ०	सामाजिक	36	9, 10 6, 7, 8	सामाजिक सामाजिक	16 18	34	2
8.	ब0आ०	संस्कृत	36	9, 10 6, 7, 8 6, 7, 8	संस्कृत कार्यानुभव संस्कृत	10 6 18	34	2
9.	अ0लेवल II	विज्ञान / गणित	36	9, 10 10 6, 7, 8	विज्ञान आई.टी विज्ञान	16 2 18	36	0
10.	अ0लेवल II	हिन्दी	42	6, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8	हिन्दी निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला पुस्तकालय	18 10 8 2	38	4
11.	अ0लेवल II	अंग्रेजी	42	6, 7, 8 6 6 6 9, 10	अंग्रेजी निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला पुस्तकालय SUPW & कला	18 5 4 1 2	30	12
12.	शा.शि.	T या II ग्रेड	42	9, 10 6, 7, 8	स्वा एवं शाशि स्वा एवं शाशि	4 6	10	32
13.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	RTE के तहत कक्षा 1 से 5			
14.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	RTE के तहत कक्षा 1 से 5			



कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु सामन के आदेश क्रमांक: प.22(6) शिक्षा-1/2002, जयपुर, दिनांक: 30.04.15 के क्रम में इस कार्यालय के समर्संख्यक निर्देश पत्र दिनांक: 20.08.16 द्वारा विद्यालयों के समय विभाग चक के निर्माण में राजस्थानीय निर्देशों के अनुरूप समुचित कालांश भार निर्धारण आवाहन निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। विद्यालय परिवीक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि विद्यालयों द्वारा समय विभाग चक निर्मित किए जाते समय उक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। अतएव पूर्व प्रदत्त निर्देश पत्र दिनांक: 20.08.16 के अनुरूपता में निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए :-

- विषय व्याख्याताओं को समय विभाग चक में प्रत्येक सप्ताह में कक्षा - 9 से 12 तक कुल 33 कालांश आवधित किए जाए।
- वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा समय विभाग चक में प्रत्येक सप्ताह में कक्षा - 6 से 10 तक कुल 36 कालांश आवधित किए जाए।
- अध्यापक लेयल-2 को समय विभाग चक में प्रत्येक सप्ताह में कक्षा - 1 से 8 तक कुल 42 कालांश आवधित किए जाए।
- अध्यापक लेयल-1 को समय विभाग चक में प्रत्येक सप्ताह में कक्षा - 1 से 5 तक कुल 42 कालांश आवधित किए जाए।
- व्याख्याता के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाया जायेगा।
- व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेयल-2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाया जा सकेगा।

समस्त संबंधितों द्वारा क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों की पालना एवं क्रियान्विति सर्वोच्च प्राधिकार से करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में उपर्युक्त निर्देशों की पालना में कोताही वरती जाने की रिक्षति सामने आने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी के विकास नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(बी०एल०स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 02-12-16

क्रमांक-शिविरा/मा/निप्र/डी-1/104/ा/नवाचार/ 2016-17/190

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, सामन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जो क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (I/II) को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
- वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय का पता :- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ०१५१-२५४०४३

Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in Fax No. 0151-2201861

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश शिक्षक लेवल 1 और 2 को लेने होंगे 42-42 कालांश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 21/8

rajasthanpatrika.com

उदयपुर . शिक्षक लेवल 1 (पहली से पांचवीं कक्षा) और 2 (पहली से आठवीं कक्षा) को 42-42 कक्षाएं लेनी होंगी। विषय व्याख्याताओं को नौवी से 12 तक कुल 33 कालांश प्रति सप्ताह लेने होंगे।

उक्त निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने हाल ही में एक आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक को हर सप्ताह छठी से दसवीं कक्षा के कुल 36 कालांश लेने होंगे। व्याख्याता के पद रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठ

शिक्षक कक्षा 11 और 12 में जरूरत के अनुसार शिक्षण करवाएंगे। व्याख्याता व वरिष्ठ शिक्षक के पद रिक्त होने की स्थिति में शिक्षक लेवल दो के शिक्षक नौवी से बारहवीं की कक्षाएं जरूरत के अनुसार लेंगे।

निदेशक ने स्पष्ट किया है कि यह समय विभाग चक्र में स्पष्ट लिखा जाए कि किसे कितनी कक्षाएं लेनी है। इसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई कोताही या शिकायत सामने आती है, तो संस्था प्रधान व जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।



School At A Glance

स्कूल समय और कक्षावार कालांश विवरण

एक पारी विद्यालय (ग्रीष्मकाल)

समय – प्रातः 8–00 से 2–10 बजे
प्रार्थना व योगाभ्यास
मध्यान्तर
प्रथम 6 कालांश
अन्तिम दो कालांश

दो पारी विद्यालय(ग्रीष्मकाल)


समय – प्रातः 7–00 से सांय 6–00 बजे
प्रार्थना व योगाभ्यास
मध्यान्तर
प्रथम 6 कालांश
अन्तिम दो कालांश

ध्यातव्य – संस्था प्रधान 7–20 से 2–10 बजे, शैक्षिक स्टाफ 8–00 से 2–10 बजे, विद्यार्थी 8–05 से 2–10 बजे

राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के आदेश 15–03–2016 के अनुसार

कक्षा 1 से 8 के लिये विषयवार साप्ताहिक कालांश व्यवस्था

क्र.सं.	विषय	कक्षा		कक्षा 6–7	कक्षा 8				
		1 व 2	3 से 5						
1.	हिन्दी	12	12	6	6				
2.	अंग्रेजी	6	6	6	6				
3.	गणित	12	9	6	6				
4.	पर्यावरण अध्ययन	6	9	6	—				
5.	कार्यानुभव	3	4	6	6				
6.	कला शिक्षा	3	4	6	6				
7.	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	6	4	—	6				
	योग	48	48	2	2				
नोट – कक्षा 6 से 8 में निदानात्मक विज्ञान के 5 कालांश में एन.सी.ई.आर. ठी कोर्स और कक्षा रत्त प्राप्त करने की कठिनाईयों का निवारण। हमारा राजस्थान का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के साथ भी कराना है। कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शा.शि. कालांश में खेल, स्वास्थ्य, व्यायाम, माईड, स्कॉर्ट, कला कार्य की जानकारी करवानी है।									
कक्षा 9 से 12 के लिये साप्ताहिक कालांश बोर्ड विवरणिका अनुसार									
क्र.सं.	विषय	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	कक्षा 12				
1.	भाषाएँ	कालांश		6	6				
(1)	हिन्दी	6	6	6	6				
(2)	अंग्रेजी	6	6	3	3				
(3)	तृतीय भाषा	5	5	3	—				
2.	विज्ञान	8	8	30	33				
3.	सामाजिक विज्ञान	8	8	(प्रायोगिक विषयों में कक्षा 11 में 6 सैद्धान्तिक व					
4.	गणित	8	8	4 प्रायोगिक और कक्षा 12 में 7 सैद्धान्तिक व					
5.	व्यावसायिक शिक्षा (अतिरिक्त वैकल्पिक विषय)	कोई एक 1. सोन्दर्भ एवं स्वास्थ्य।		4 प्रायोगिक कालांश)					
6.	स्वास्थ्य देखगाल। 3 सूचना प्रौद्योगिकी।			6. नैतिक शिक्षा – प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों					
7.	आंटोमांबाईल। 5. निजि सुख्ता। 6. रिटेल।			एवं सभी सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।					
8.	ट्रेवल एवं टूरिज्म। (इस विषय शिक्षण के लिये स्कूल में अतिरिक्त समय की व्यवस्था की जाएगी)			7. पुस्तकालय संबंधी कार्य 0 कालांश / मध्य अन्तराल में।					
9.	1 SUPW&CS 2 कला शिक्षा	1	1	8. शारीरिक शिक्षा – शाशि एवं गतिविधियों विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात।					
10.	नैतिक शिक्षा – प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित।			नोट – कक्षा 11 / उपाध्याय उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाज सेवा शिविर में भाग लेना अनिवार्य होगा। शिविर की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा 12 की अंकतालिका / प्रमाण पत्र में किया जायेगा। एनएसएस में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस शिविर से मुक्त रहेंगे। इनकी कक्षा 12 की अंकतालिका में एनएसएस में भाग लिया अंकन होगा।					
11.	पुस्तक आदान प्रदान 0 कालांश / मध्य अन्तराल में।								
नोट – जहां कम्प्यूटर लेब की सुविधा नहीं है, वहां के सभी साधन वाद्ययन एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता अनुसार IT के कालांश का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते हैं।									
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों के लिये प्रसारित (विसंगति में विभाग के आदेश ही मान्य हैं)									



कक्षा 1 से 12 ऐच्छिक हिन्दी, इतिहास व नागरिक शास्त्र – मॉडल टाईम टेबल
 प्रधानाचार्य–1 व्याख्याता–4 वरिष्ठ अध्यापक 3 (1– गणित, 1– विज्ञान, 1–संस्कृत)
 अध्यापक लेवल II–3 (1–सामाजिक, 1–हिन्दी, 1–अंग्रेजी) अध्यापक लेवल–I –2 शारीरिक शिक्षक–1
 – पदस्थापित शैक्षिक स्टॉफ के विषय एवं साप्ताहिक कालांश भार निम्नानुसार रहेगा –

क्रसं	पद	विषय	निर्धारित कालांश	कक्षा	शिक्षण विषय	शिक्षण विषय	कुल कालांश	शेष कालांश
1.	व्याख्याता	अंग्रेजी	36	11, 12 9, 10 11	अंग्रेजी अनिवार्य अंग्रेजी जीवन कौशल	12 12 3	27	9
2.	व्याख्याता	हिन्दी	36	11, 12 11, 12 11	हिन्दी अनिवार्य हिन्दी ऐच्छिक इतिहास	12 21 21	33	3
3.	व्याख्याता	इतिहास	36	11, 12 10 11	इतिहास राजस्थान अध्ययन	3	32	4
4.	व्याख्याता	राज. विज्ञान	36	11, 12 12 9	राज. विज्ञान राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान	21 3 8	32	4
5.	व030	गणित	36	9, 10 10 6, 7, 8	गणित आई.टी	16 2 18	36	0
6.	व030	विज्ञान	36	9, 10 10 6, 7, 8	विज्ञान आई.टी	16 2 18	36	0
7.	व030	संस्कृत	36	9, 10 6, 7, 8 6, 7, 8	संस्कृत कार्यानुभव	10 6 18	34	2
8.	अ0लेवल II	सामाजिक	42	6, 7, 8 9, 10 9, 10 8 8	सामाजिक राजस्थान अध्ययन SUPW & कला निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला	18 4 2 5 4	34	8
9.	अ0लेवल II	हिन्दी	42	9, 10 6, 7, 8 7 7 7	हिन्दी हिन्दी निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला पुस्तकालय	12 18 5 4 1	40	2
10.	अ0लेवल II	अंग्रेजी	42	6, 7, 8 6 6 6	अंग्रेजी निदानात्मक शिक्षण कार्यानुभव + कला पुस्तकालय	18 5 4 1	28	14
11.	शा.शि.	1 या II ग्रेड	42	9, 10 6, 7, 8	स्वा एवं शाशि	4 6	10	32
12.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	RTE के तहत कक्षा 1 से 5			
13.	अध्यापक	लेवल I		1 से 5	RTE के तहत कक्षा 1 से 5			



राजस्थान प्राथमिक एवं
माध्यमिक शिक्षक संघ



E Mail - mpandey09@ymail.com
RAJASTHAN PRATHAMIK AEVEM
MADHYAMIK SHIKSHAK SANGH

रा.प्रा.एवंमा.शि.सं / बीका / प्रदेश / 2018-19

दिनांक06-07-2018.....

माननीय मुख्य मन्त्री

राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय : कक्षा 1 से 8 में विषयवार कालांश पुर्ण विभाजन करवाने बाबत।

सन्दर्भ : SIQE मूल्यांकन योजना निर्माण के लिये समय उपलब्ध करवाना।

महोदया जी,

सविनय निवेदन है कि राज्य में कक्षा 1 से 5 के लिये SIQE (State Initiative for Quality Education) परियोजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत CCP (Child Centered Pedagogy) बाल केन्द्रित शिक्षण विद्या और CCE (Continuous and Comprehensive Evaluation) सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति से शिक्षण, मूल्यांकन हो रहा है।

राज्य की स्कूलों में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12 को 6 घंटे 5 मिनट पढ़वाया जा रहा है।

CCP और CCE अनुसार कक्षा में शिक्षण व मूल्यांकन के बाद योजना निर्माण के लिये समय चाहिए। अध्यापक लेवल प्रथम को पूरे 8 कालांश पढ़ाने होते हैं। इन्हें योजना निर्माण के लिये समय नहीं मिल पा रहा है।

कक्षा 1 से 5 के लिए 6 और कक्षा 6 से 8 के लिये रोजाना 7 कालांश लगाया जाना समीचीन होगा। शेष समय में अध्यापक CCP और CCE कक्षा से शिक्षण व मूल्यांकन के बाद योजना निर्माण कर सकेंगे।

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा 6 व 7 कालांश का टाईम टेबल निम्नानुसार प्रस्तावित है।

क्र.सं.विषय	कक्षा 1-2 वर्तमान	कक्षा 1-2 प्रस्तावित	कक्षा 3 से 5 वर्तमान	कक्षा 3 से 5 प्रस्तावित
1. हिन्दी	12	6	12	6
2. अंग्रेजी	6	6	6	9
3. गणित	12	9	9	6
4. पाठ्यवरण	6	6	9	6
5. कार्यानुभव	3	3	4	3
6. कला शिक्षा	3	3	4	3
7. स्वा.एवं शा.शि.	6	3	4	3
योग (कक्षा शिक्षण)	48	36	48	36

नोट— कक्षा 6 से 8 को कार्यानुभव और कला शिक्षा एक साथ ही पढ़ाया जा सकता है। राज्य की सब स्कूलों में आयु के अनुरूप कक्षा 1 से 8 में प्रवेश के बालक नहीं हैं। बालक होने पर उन्हें 7 वें 8 वें कालांश में रोककर पढ़ाया जा सकता है। निदानात्मक शिक्षण कालांश की प्रत्येक स्कूल में अलग से आवश्यकता नहीं है।

शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 19 व 25 की अनुसूचि में कक्षा 1 से 5 के लिये वर्ष में 200 दिन स्कूल लगानी है। इन्हें कुल 800 घंटे शिक्षण करवाना है। इस गणना ($800/200=4$ घण्टे) से कक्षा 1 से 5 को प्रतितिन 4 घण्टे शिक्षण करवाना है। इसी अनुसूचि में कक्षा 6 से 8 के लिये वर्ष में 220 दिन स्कूल लगानी है। इन्हें 1000 घंटे शिक्षण करवाना है। इस गणना से ($1000/220=4$ घण्टे 30 मिनट) कक्षा 6 से 8 को प्रतितिन 4 घण्टे 30 मिनट शिक्षण करवाना है। स्कूलों में प्रथम 6 कालांश 40 मिनट और सातवां, आठवां कालांश 35 मिनट के हैं। $40 \times 6 = 240$ मिनट = 4 घंटे कक्षा 1 से 5 के लिये रोजाना 6 कालांश और कक्षा 6 से 8 के लिये रोजाना 7 कालांश के अनुसार विषयवार साप्ताहिक कालांशों का विभाजन होना चाहिए।

संगठन का आंकलन है कि शिक्षकों को SIQE योजना निर्माण के लिये समय नहीं मिल पाता है। वे मजबूरन कक्षा शिक्षण के समय ही योजना बना रहे हैं।

संगठन का आग्रह है SIQE के सधन निरीक्षण में इस बिन्दु पर भी सर्वे करवाया जावे।

भवनिष्ठ

(महेन्द्र पाण्डे)

महामन्त्री

प्रान्तीय कार्यालय— 44-ए, पाण्डे कालोनी चौतीना कुआ बीकानेर। मोबाइल 9928370327

